



8

अनुसूची - 8 निवेश

8

Schedule - 8 Investments

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
क I. भारत में निवेश A I. Investments in India in				
a. सरकारी प्रतिभूतियाँ Government Securities		74851 ,28 ,30		64282 ,48 ,51
b. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ Other approved securities		-		
c. शेयर्स Shares		607 ,21 ,25		323 ,53 ,96
d. डिबेंचर्स और बांड Debentures and Bonds		5588 ,56 ,64		3493 ,65 ,83
e. सहायक कंपनियाँ और/ या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures		311 ,43 ,11		141 ,32 ,51
f. अन्य Others				
i. यूटीआई / म्यूचुअल फंडों के यूनिट Units of U T I/ Mutual funds	37 ,51 ,97		33 ,11 ,16	
ii. जमा प्रमाणपत्र Certificate of Deposits	608 ,77 ,81		-	
iii. वाणिज्यिक प्रपत्र Commercial Papers	-		-	
iv. पीटीसी PTCs	-		-	
v. अन्य Others	-	646 ,29 ,78	-	33 ,11 ,16
कुल Total		82004 ,79 ,08		68274 ,11 ,97
क II. भारत के बाहर निवेश A II. Investments outside India		-		-
कुल Total		-		-
कुल जोड़ (I एवं II) GRAND TOTAL (I & II)		82004 ,79 ,08		68274 ,11 ,97
ख I. भारत में सकल निवेश B I. Gross Investments in India	81898 ,56 ,92		68592 ,86 ,45	
i) जोड़ें/घटाएँ: निवेश पर मूल्यवृद्धि/(मूल्यहास) on Investment	443 ,19 ,83		-15 ,04 ,52	
ii) घटाएँ: निवेश पर प्रावधान ii) Less: Provisions on Investment	336 ,97 ,67	82004 ,79 ,08	303 ,69 ,96	68274 ,11 ,97
iii) निवल निवेश (क-ख) iii) Net Investment (a-b)		82004 ,79 ,08		68274 ,11 ,97
ख II भारत के बाहर सकल निवेश b II Gross Investments outside India		-		-
कुल (I एवं II) TOTAL (I & II)		82004 ,79 ,08		68274 ,11 ,97



9

अनुसूची - 9 अग्रिम

9

Schedule - 9 Advances

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

		31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
क./ A.	I. भांजित एवं खरीदे गए बिल Bills purchased and discounted	4110,47,48		3531,09,78	
	II. नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट एवं मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	53744,50,78		51489,78,04	
	III. मीयादी ऋण Term Loans	178228,81,27		145219,00,61	
			236083,79,53		200239,88,43
कुल Total			236083,79,53		200239,88,43
ख./ B.	i. मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत (बही ऋण पर अग्रिमों सहित) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debts)	197165,37,24		162329,35,19	
	ii. बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा संरक्षित Covered by Bank/Government Guarantees	642,46,23		1641,25,42	
	iii. अप्रत्याभूत Unsecured	38275,96,06	236083,79,53	36269,27,82	200239,88,43
	कुल Total		236083,79,53		200239,88,43
ग./ C.	I. भारत में अग्रिम Advances in India				
	i. प्राथमिकता क्षेत्र Priority Sector	90492,59,70		81079,58,53	
	ii. सार्वजनिक क्षेत्र Public Sector	21940,34,77		35750,96,35	
	iii. बैंक Banks	499,98,05		741,94,95	
	iv. अन्य Others	123150,87,01	236083,79,53	82667,38,60	200239,88,43
	II. भारत से बाहर अग्रिम Advances outside India		-		-
कुल (ग. I एवं ग. II) Total (C.I & C.II)			236083,79,53		200239,88,43



10

अनुसूची - 10 स्थिर आस्तियां

10

Schedule - 10 Fixed Assets

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. परिसर Premises				
i. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर (पूर्ववर्ती वर्षों में कुछ परिसरों के पुनर्मूल्यांकन के कारण हुई कीमत में वृद्धि शामिल है) At cost as on 31st March of the preceding year (includes increase in the value on account of revaluation of certain premises in earlier years)	1951,22,45		1937,74,81	
ii. वर्ष के दौरान वृद्धि Addition during the Period	57,11,80		13,47,64	
iii. वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन के कारण वृद्धि Addition on account of revaluation during the year	1894,25,09		-	
	3902,59,34		1951,22,45	
iv. वर्ष के दौरान कमी Deductions during the year #	1413,87,74		-	
	2488,71,60		1951,22,45	
v. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	397,08,58	2091,63,02	347,11,69	1604,10,76
II. प्रगतिधीन पूंजीगत कार्य Capital Work in progress		4,36,05		9,69,53
III. अन्य स्थिर आस्तियां (फर्नीचर व जड़ वस्तुओं सहित) Other Fixed Assets (including furniture and fixtures)				
i. विगत वर्ष की 31 मार्च की स्थिति के अनुसार लागत पर At cost as on 31st March of the preceding year	1835,89,73		1608,08,84	
ii. अवधि के दौरान वृद्धि Addition during the Period	467,58,89		263,24,02	
	2303,48,62		1871,31,69	
iii. वर्ष के दौरान कमी Deduction during the Period	262,04,86		35,41,96	
	2041,43,76		1835,89,73	
iv. अद्यतन मूल्यहास Depreciation to date	1221,84,14	819,59,62		595,79,70
कुल (I, II एवं III) Total (I, II & III)		2915,58,69		2209,59,99

#पुनर्मूल्यांकन के कारण #On account of revaluation



11

अनुसूची - 11 अन्य आस्तियां

11

Schedule - 11 Other Assets

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. अंतर-कार्यालय समायोजन (निवल) Inter-office adjustments (net)		68,56,74		65,97,75
II. उपचित ब्याज Interest accrued		1618,48,54		1307,32,88
III. अग्रिम रूप से प्रदत्त कर/ स्रोत पर काटा गया कर Tax paid in advance/tax deducted at source		1757,86,63		1810,09,81
IV. लेखन सामग्री और स्टांप Stationery and Stamps		2,83,04		2,59,78
V. दावों के निपटान हेतु अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां Non-banking assets acquired in satisfaction of claims		-		-
VI. अन्य *(आरआईडीएफ सहित) Others* (incl RIDF)		2495,36,42		2916,59,18
कुल (I, II, III, IV, V एवं VI) Total (I, II, III, IV, V & VI)		5943,11,37		6102,59,40

* टिप्पणी: अन्य आस्तियों में रु. 636,79,67 हजार की निवल आस्थगित कर आस्तियां शामिल हैं। (पिछले वर्ष रु. 956,76,52 हजार की निवल आस्थगित कर आस्तियां)

* Note : Others assets include Net Deferred Tax asset of Rs.636,79,67 in thousands (Previous Year Net DTA Rs. 956,76,52 in thousands)

12

अनुसूची - 12 आकस्मिक देयताएं

12

Schedule - 12 Contingent Liabilities

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है Claims against the Bank not acknowledged as debts		1356,67,05		1349,90,85
II. आंशिक प्रदत्त निवेशों के लिए देयता Liability for partly paid investments		-		-



(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार (चालू वर्ष) As on 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 की स्थिति के अनुसार (पिछला वर्ष) As on 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
III. बकाया वायदा विनियम संविदाओं के कारण देयता*		25776 ,35 ,28		26190 ,97 ,20
IV. संघटकों की ओर से दी गई प्रतिभूतियां				
Guarantees given on behalf of constituents				
i. भारत में In India	10865 ,74 ,83		9317 ,18 ,38	
ii. भारत के बाहर Outside India	379 ,32 ,81	11245 ,07 ,64	210 ,30 ,87	9527 ,49 ,25
V. स्वीकृतियां, पृष्ठांकन एवं बाधताएं		1486 ,82 ,30		1375 ,56 ,09
Acceptances,endorsements and obligations				
VI. अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है		1076 ,21 ,96		946 ,95 ,25
Other items for which Bank is contingently liable				
कुल (I, II, III, IV, V एवं VI) Total (I, II, III, IV, V & VI)		40941,14,23		39390,88,64

* वायदा विनियम संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयताओं में बिक्री व खरीद दोनों प्रकार की संविदाएं शामिल हैं।

* Contingent liabilities in respect of forward exchange contracts include both sale and purchase contracts

13

अनुसूची - 13 अर्जित ब्याज

13

Schedule - 13 Interest Earned

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा		19291 ,50 ,58		15826 ,24 ,03
Interest/Discount on Advances/Bills				
II. निवेशों पर ब्याज Interest on Investments	5372,90,17		4613 ,78 ,15	
घटाएं - निवेशों का परिशोधन	12 ,47 ,34	5360,42,83	153 ,02 ,03	4460 ,76 ,12
Less - Amortisation of Investments				
III. भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज		202 ,63 ,54		135 ,76 ,95
Interest on balances with Reserve Bank of India & other inter bank funds				
IV. अन्य Others		92 ,88 ,22		71 ,91 ,73
कुल (I, II, III एवं IV) Total (I, II, III & IV)		24947,45 ,17		20494,68 ,83



14

अनुसूची - 14 अन्य आय

14

Schedule - 14 Other Income

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)		31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)	
I. कमीशन, विनियम और ब्रोकरेज Commission, exchange, and brokerage		1740,56,74		1582,23,10
II. निवेशों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of investments घटाएं: निवेशों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of Investments	234,74,35 14,72,23	220,02,12	214,29,80 6,41,94	207,87,86
III. निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ Profit on revaluation of Investments घटाएं: निवेशों के पुनर्मूल्यन पर हानि Less: Loss on revaluation of Investments	- -	-	- -113,15,12	113,15,12
IV. भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर लाभ Profit on sale of land, buildings and other assets घटाएं: भूमि, भवनों और अन्य आस्तियों के विक्रय पर हानि Less: Loss on sale of land, buildings and other assets	2,34,13 1,96,62	37,51	2,12,58 1,25,50	87,08
V. विनिमय संव्यवहारों पर लाभ Profit on Exchange Transactions घटाएं: विनिमय संव्यवहारों पर हानि Less: Loss on Exchange Transactions	63,29,42 -	63,29,42	41,61,23 -	41,61,23
VI. भारत / विदेश में स्थित संयुक्त उद्यमों और/ या कंपनियों/ सहायक कंपनियों/ इत्यादि से लाभांशों के रूप में अर्जित आय Income earned by way of dividends etc. from subsidiaries/ Companies and/or Joint Ventures abroad/in India		1,71,64		1,35,93
VII. विविध आय* Miscellaneous Income*		1428,19,88		1050,76,25
कुल (I, II, III, IV, V, VI एवं VII) Total (I, II, III, IV, V, VI & VII)		3454,17,31		2997,86,57

* इसमें बट्टे खाते में डाले गए खातों में की गई वसूली रु.1374,88,06 हजार में शामिल है। (पिछले वर्ष - रु. 985,52,22 हजार में)

* Includes Recoveries made in write off accounts Rs. 1374,88,06 in thousand (Previous years- Rs. 985,52,22 in thousands)



15

अनुसूची - 15 व्यय किया गया ब्याज

15

Schedule - 15 Interest Expended

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st Mar, 2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st Mar, 2024 (Previous Year)
I. जमाशायियों पर ब्याज Interest on deposits	12295,05,79	10040,63,05
II. भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर-बैंक उधारियों पर ब्याज Interest on Reserve Bank of India / inter-bank borrowings	22,52,43	33,27,41
III. अन्य Others	964,29,87	598,93,91
कुल (I, II एवं III) Total (I, II & III)	13281,88,09	10672,84,37

16

अनुसूची - 16 परिचालन व्यय

16

Schedule - 16 Operating Expenses

(₹ हजार में)/(₹ in thousands)

	31 मार्च, 2025 समाप्त वर्ष के लिए (चालू वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2025 (Current Year)	31 मार्च, 2024 समाप्त वर्ष के लिए (पिछला वर्ष) For the Year Ended 31 st -Mar-2024 (Previous Year)
I. कर्मचारियों को भुगतान एवं उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	3442,23,31	2838,12,75
II. किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	326,63,73	280,41,93
III. मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	36,84,22	31,58,55
IV. विज्ञापन और प्रचार Advertisement and publicity	48,39,45	33,56,75
V. बैंक की संपत्ति पर मूल्यहास Depreciation on Bank's property	290,57,12	223,47,20
VI. निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Directors' fees, allowances and expenses	1,23,26	1,22,76
VII. लेखा परीक्षकों की फीस और व्यय (शाखा लेखा परीक्षकों सहित) Auditors' fees and expenses (including branch auditors)	19,64,09	15,69,27
VIII. विधि प्रभार Law Charges	81,35,30	68,36,84
IX. डाक, तार और टेलीफोन आदि Postage, Telegrams, Telephones, etc.	50,27,84	45,41,85
X. मरम्मत और रखरखाव Repairs and maintenance	315,94,78	258,67,30
XI. बीमा Insurance	364,18,62	279,12,26
XII. अन्य व्यय Other expenditure	823,39,77	738,69,83
कुल (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI एवं XII) Total (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI & XII)	5800,71,49	4814,37,29



अनुसूची 17- महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां
(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल खातों के साथ संलग्न और उसका भाग)

Schedule 17 – Significant Accounting Policies

(Annexed To And Forming Part Of The Standalone Accounts For The Year Ended 31st March 2025)

1

पृष्ठभूमि

1.1 बैंक ऑफ महाराष्ट्र (बैंक) बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा शासित है।

1.2 वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:

वित्तीय विवरण पूर्व लागत प्रथाओं के अंतर्गत स्थिरता, उपचय और प्रचलित मौलिक लेखांकन मान्यताओं के साथ तैयार किए गए हैं, ऐसे स्थानों को छोड़कर जहां अन्यथा उल्लेख हो, और सामान्यतः अनुमोदित लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) जिसमें सांविधिक प्रावधानों और भारत में बैंकिंग उद्योग में प्रचलित प्रथाओं, विनियामक/ भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") के दिशानिर्देशों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों/ दिशानिर्देश टिप्पणियों का समावेश है। वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए हैं।

1.3 अनुमानों का उपयोग:

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन से यह अपेक्षित है कि रिपोर्टाधीन अवधि हेतु आय और व्यय की रिपोर्ट तथा वित्तीय विवरणों के दिनांक को आस्ति और देयताएं (आकस्मिक देयताओं सहित) की रिपोर्ट की गई राशि के आकलन और धारणाओं पर विचार किया जाए। प्रबंधन का यह विचार है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आकलन विवेकपूर्ण और तर्कसंगत हैं। भविष्य के परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। लेखा आकलन में किसी भी संशोधन की पहचान भावी प्रभाव से की जाएगी जबतक कि अन्यथा का उल्लेख न हो।

1.4 ऐसे स्थानों को छोड़कर जिनका उल्लेख परिच्छेद 6.1 में किया गया है, राजस्व और लागत को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

1.5 राजस्व अभिनिर्धारण, निवेशों व अग्रिमों से संबंधित लेखा नीतियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विवेकपूर्ण लेखा मानदंडों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार हैं।

1

Background

1.1 Bank of Maharashtra (the Bank) is governed by the Banking Regulation Act, 1949 and The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970

1.2 Basis of Preparation of Financial Statements:

The financial statements are prepared under the historical cost conventions with fundamental accounting assumptions of going concern, consistency, and accrual, except as otherwise stated and conform to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) which include statutory provisions, practices prevailing within the Banking Industry in India, the regulatory/ Reserve Bank of India ("RBI") guidelines, applicable Accounting Standards/ Guidance Notes issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). The financial statements have been prepared in accordance with requirements under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949.

1.3 Use of Estimates :

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions considered in the reported amount of Assets and Liabilities (including contingent liabilities) as of the date of financial statements and reported income and expenses for the year under report. Management is of the view that the estimates used in the preparation of financial statements are prudent and reasonable. Future results could differ from these estimates. Any revisions to the accounting estimates shall be recognized prospectively unless otherwise stated

1.4 Revenue and costs are accounted for on accrual basis except as stated in para 6.1 below

1.5 The accounting policies with regard to Revenue Recognition, Investments and Advances are in conformity with the prudential accounting norms and guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time

2

विदेशी मुद्रा विनिमय संव्यवहार

2.1. विदेशी मुद्रा संव्यवहारों को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा पिछले सप्ताह के लिए प्रकाशित साप्ताहिक औसत अंतिम दरों पर निर्धारित किया गया है। तुलनपत्र के दिनांक को विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यन विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडआई) द्वारा प्रकाशित अंतिम दरों पर किया गया है, और परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/हानि को लाभ व हानि खाते में लेखाबद्ध किया गया है।

2

Foreign Exchange Transactions

2.1. The foreign currency transactions are translated at the weekly average closing rates for the preceding week as published by Foreign Exchange Dealers' Association of India (FEDAI). Revaluation of foreign currency assets and liabilities as on Balance Sheet date is done at the closing exchange rate published by FEDAI and the resultant profit/loss is accounted for in the Profit & Loss Account.



- 2.2.** बकाया वायदा विदेशी मुद्रा विनिमय संविदाओं को संविदात्मक दरों पर दर्शाया गया है और विशिष्ट परिपक्वता अवधियों के लिए "फाइनान्शियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (फिबिल) – द्वारा प्रकाशित मायफर दर अर्थात् पीवी01 आधार पर लागू दरों पर बढ़े डालते हुए, निर्दिष्ट परिपक्वता के लिये एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित विनिमय दरों पर तुलन पत्र के दिनांक पर तिमाही आधार पर पुनर्मूल्यांकित/ बाज़ार हेतु चिन्हित किया गया है। पुनर्मूल्यांकन के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ/ हानि को लाभ हानि खाते में भारतीय रिज़र्व बैंक/ फेडआई दिशानिर्देशों के अनुसार लेखाबद्ध किया गया है और लाभ के मामले में इसका प्रभाव "अन्य आस्तियों" और हानि के मामले में इसका प्रभाव "अन्य देयताओं" को प्रभारित किया गया है।
- 2.3.** विदेशी मुद्रा में जारी गारंटियों और साख पत्रों के कारण उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को तुलनपत्र में, फेडआई द्वारा प्रकाशित अंतिम विनिमय दरों पर दर्शाया गया है।
- 2.4.** अरक्षित विदेशी मुद्रा विगोपन के ऋण विगोपन, यदि कोई हो, हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रावधान और पूंजी आवश्यकता की व्यवस्था करनी होगी।

- 2.2.** Outstanding Forward Foreign Exchange Contracts are stated at contracted rates and revalued/ marked to market as on quarterly basis and on Balance Sheet date at the exchange rates published by FBIL for specified maturities by discounting the same at the Modified MIFOR rate published by Financial Benchmarks India Pvt. Ltd. [FBIL] i.e. on PV01 basis. The resulting profit/loss, on revaluation, is recognized in the Profit & Loss Account in accordance with RBI / FEDAI guidelines and the effect is taken to "Other Assets" in case of gain or to "Other Liabilities" in case of loss. .
- 2.3.** Contingent Liabilities on account of Guarantees and Letters of Credit issued in foreign currency are stated in the Balance Sheet at the closing exchange rates published by FEDAI
- 2.4.** Credit exposure of the un-hedged foreign currency exposure, if any, of the constituents shall attract provisioning and capital requirements as per RBI guidelines.

3

निवेश

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार निवेशों का वर्गीकरण एवं मूल्यांकन निम्नानुसार किया गया है :

3.1. निवेश निम्नांकित श्रेणियों में वर्गीकृत किए गए हैं:

- परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
- बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)
- लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) जिसमें ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) की उपश्रेणी शामिल है।

सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में सभी निवेश उपरोक्त श्रेणी से अलग एक विशिष्ट श्रेणी में रखे जाते हैं।

3.2. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म-ए की आवश्यकता के अनुसरिता में सभी निवेशों को आगे निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- सरकारी प्रतिभूतियां
- अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
- शेयर्स
- डिबेंचर तथा बांड
- अनुषंगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
- अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्युचुअल फंड यूनिट इत्यादि)

3

Investments

As per Reserve Bank of India guidelines, the investments are classified and valued as under:

3.1. Investments are classified in the following categories:

- Held to Maturity (HTM)
- Available for sale (AFS)
- Fair Value through Profit and Loss (FVTPL) with subcategory of Held for trading (HFT)

All investments in subsidiaries, associates and joint ventures is held in a distinct category separate from above category.

3.2. All the investments are further classified in the following six baskets in conformity with the requirement of Form-A of Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949:

- Government Securities
- Other approved Securities
- Shares
- Debentures and Bonds
- Subsidiaries and Joint Ventures
- Others (Commercial Papers, Mutual Fund Units etc.)



3.3. बैंक अधिग्रहण के समय प्रत्येक निवेश की श्रेणी का निर्धारण करता है और तदनुसार उनका वर्गीकरण करता है। सभी निवेशों का प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य निरूपण किया जाता है। जब तक तथ्यों और परिस्थितियों से यह स्पष्ट न हो कि उचित मूल्य अधिग्रहण लागत से भौतिक रूप से भिन्न है, तब अधिग्रहण लागत को उचित मूल्य के रूप में लिया जाता है। एचटीएम, एफएस और एफवीटीपीएल के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई भी छूट या प्रीमियम को लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। एचटीएम से कोई भी बिक्री (5% की सीमा के भीतर) बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार है। बैंक ने अपने निवेश पोर्टफोलियो को तीन उचित मूल्य पदानुक्रम में वर्गीकृत किया है अर्थात् स्तर 1, स्तर 2 और स्तर 3

3.3. Bank decides the category of each investment at the time of acquisition and classifies the same accordingly. All investments are measured at fair value on initial recognition. Unless facts and circumstances suggest that the fair value is materially different from the acquisition cost, then the acquisition cost is taken as the fair value. Any discount or premium on securities under HTM, AFS, and FVTPL is amortized over the remaining life of the instrument. Any sale from HTM (within limit of 5%) is as per Board approved policy. The bank has categorized its investment portfolio into three fair value hierarchies viz Level 1, Level 2, and Level 3

3.4. रेपो/ रिवर्स रेपो

रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को लेखाबद्ध करने के लिए बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट समान लेखा पद्धति को अपनाया है। रेपो और रिवर्स रेपो संव्यवहारों को सहमत शर्तों पर पुनर्खरीद के समझौते के साथ सहायक उधारियों/ ऋण परिचालन माना जाता है। रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियों को निवेश के अंतर्गत दर्शाया जाना जारी रखा जाता है और रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियों को निवेश में शामिल नहीं किया जाता है। बकाया रेपो/ मीयादी रेपो का प्रकटन उधारियों के रूप में और बकाया रिवर्स रेपो का प्रकटन ऋण के रूप में किया जाता है। लागत और राजस्व का लेखांकन ब्याज व्यय/ आय, जैसा भी मामला हो, के रूप में किया जाता है।

3.4. REPO/ Reverse REPO

The Bank has adopted the Uniform Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of market Repo and Reverse Repo transactions. Repo and Reverse Repo transactions are treated as Collateralized Borrowing / Lending Operations with an agreement to repurchase on the agreed terms. Securities sold under Repo are continued to be shown under investment and Securities purchased under Reverse Repo are not included in investment. Outstanding Repo / Term Repo is disclosed as borrowing and outstanding Reverse Repo is disclosed as lending. Costs and revenues are accounted for as interest expenditure / income, as the case may be.

3.5. भारत औसत मूल्यन पद्धति के आधार पर निवेशों की लागत का निर्धारण किया जाता है।

स्थिर आय प्रतिभूतियों की बिक्री / खरीद के समय खंडित अवधि के लिए प्राप्त ब्याज / खंडित अवधि के लिए चुकता ब्याज को राजस्व व्यय / आय के रूप में माना जाएगा।

ब्रोकरेज/प्राप्त प्रोत्साहन/ निवेश की खरीद/ बिक्री के समय प्रदत्त को निवेश की राशि से काटा/ जोड़ा गया है।

3.5. Cost of investments is determined on the basis of Weighted Average Price method.

Interest paid for broken period / interest received for broken period at the time of purchase / sale of fixed income securities is treated as revenue expenditure / income.

Brokerage / incentive received / paid at the time of purchase/sale of investment is deducted / added from the amount of investment.

3.6. निवेशों का मूल्यांकन :

क. परिपक्वता तक धारित :

i. 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियाँ परिपक्वता तक धारित करने के इरादे और उद्देश्य से अर्जित की जाती हैं, अर्थात् वित्तीय परिसंपत्तियों को संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के उद्देश्य से धारित किया जाता है। प्रतिभूति की संविदात्मक शर्तों से नकदी प्रवाह में वृद्धि होती है जो निर्दिष्ट तिथि पर केवल मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान ("एसपीपीआई मानदंड") है।

3.6. Valuation of investments:

a. Held to Maturity:

i. Securities under the category 'Held to Maturity' is acquired with the intention and objective of holding it to maturity i.e. the financial assets are held with an objective to collect the contractual cash flows. The contractual terms of the security give rise to cash flows that are solely payment of principal and interest on principal outstanding ("SPPI criterion") on specified date.



- ii. एचटीएम में रखी गई प्रतिभूतियों को लागत पर रखा जाता है और प्रारंभिक मान्यता के बाद उन्हें बाजार मूल्य (एमटीएम) पर मूल्यांकन नहीं किया जाता। एचटीएम के अंतर्गत प्रतिभूतियों पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- iii. एचटीएम में निवेश की बिक्री पर कोई लाभ या हानि अनुसूची 14 अन्य आय के मद II के अंतर्गत लाभ और हानि खाते में मान्य है। एचटीएम में निवेश की बिक्री पर लाभ को लाभ और हानि खाते से पूंजी आरक्षित खाते में रेखा के नीचे विनियोजित किया जाता है। इस प्रकार करों को घटाकर विनियोजित की गई राशि को सांविधिक आरक्षित में अंतरित करना आवश्यक है।

ख. बिक्री हेतु उपलब्ध :

- i. 'बिक्री के लिए उपलब्ध' श्रेणी के अंतर्गत प्रतिभूतियों का अधिग्रहण एक उद्देश्य से किया जाता है, जिसे संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने और प्रतिभूतियों को बेचने दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है।
- ii. एफएस में रखी गई प्रतिभूतियों का कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है। एफएस के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है। सभी प्रदर्शनकारी निवेशों में मूल्यांकन लाभ और हानि, वर्गीकरण के बावजूद (यानी सरकारी प्रतिभूतियाँ, अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ, बांड और डिबेंचर, आदि) एफएस के अंतर्गत एकत्रित किया जाता है।
- iii. शुद्ध मूल्यवृद्धि या मूल्यहास को सीधे एफएस रिजर्व नामक रिजर्व में जमा या नामे किया जाता है।
- iv. एफएस श्रेणी में किसी भी लिखत की बिक्री या परिपक्वता पर, एफएस-रिजर्व में उस सुरक्षा के लिए संचित लाभ/हानि को एफएस रिजर्व से अंतरित किया जाता है और लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। इक्विटी लिखत के मामले में, ऐसे निवेश की बिक्री पर कोई लाभ या हानि एफएस रिजर्व से पूंजी रिजर्व में अंतरित की जाती है।

ग. लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य:

- i. वे प्रतिभूतियाँ जो एचटीएम या एफएस में शामिल होने के योग्य नहीं हैं, उन्हें एफवीटीपीएल के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है।
- ii. एफवीटीपीएल में रखी गई प्रतिभूतियों का उचित मूल्यांकन किया जाता है और ऐसे मूल्यांकन पर होने वाले निवल लाभ या हानि को सीधे लाभ और हानि खाते में जमा या नामे किया जाता है।

- ii. Securities held in HTM is carried at cost and not be marked to market (MTM) after initial recognition. Any discount or premium on the securities under HTM is amortized over the remaining life of the instrument.
- iii. Any profit or loss on the sale of investments in HTM is recognized in the profit and loss account under item II of Schedule 14 Other Income. The profit on sale of an investment in HTM is appropriated below the line from the Profit and Loss Account to the Capital Reserve Account. The amount so appropriated is net of taxes and the amount required to be transferred to Statutory Reserve

b. Available for Sale:

- i. Securities under the category 'Available for Sale' is acquired with an objective that is achieved by both collecting contractual cash flows and selling securities.
- ii. The securities held in AFS is fair valued at least on quarterly basis. Any discount or premium on the acquisition of debt securities under AFS is amortized over the remaining life of the instrument. The valuation gains and losses across all performing investments, irrespective of classification (i.e. Government Securities, other approved securities, bonds and debentures, etc) held under AFS is aggregated.
- iii. The net appreciation or depreciation is directly credited or debited to a reserve named AFS Reserve.
- iv. Upon sale or maturity of any instrument in AFS category, the accumulated gain/loss for that security in the AFS-Reserve is transferred from the AFS Reserve and recognized in the Profit and Loss Account. In case of equity instrument, any gain or loss on sale of such investment is transferred from AFS Reserve to the Capital Reserve.

c. Fair Value Through Profit & Loss:

- i. Securities that do not qualify for inclusion in HTM or AFS is classified under FVTPL.
- ii. The securities held in FVTPL is fair valued and the net gain or loss arising on such valuation is directly credited or debited to the Profit and Loss Account.



- iii एफवीटीपीएल के भीतर एचएफटी उप-श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत प्रतिभूतियों का दैनिक आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है, जबकि एफवीटीपीएल में अन्य प्रतिभूतियों का, यदि निरंतर आधार पर नहीं तो कम से कम तिमाही आधार पर उचित मूल्यांकन किया जाता है।
- iv एफवीटीपीएल के अंतर्गत ऋण प्रतिभूतियों के अधिग्रहण पर कोई भी छूट या प्रीमियम लिखत की शेष अवधि पर परिशोधित किया जाता है।

- iii The securities that are classified under the HFT sub-category within FVTPL is fair valued on a daily basis, whereas other securities in FVTPL is fair valued at least on a quarterly, if not on a more frequent basis.
- iv Any discount or premium on the acquisition of debt securities under FVTPL is amortized over the remaining life of the instrument.

3.7. डेरिवेटिव :

ब्याज दर स्वेप :

i. मूल्यांकन :

- क) हेजिंग स्वेप : हेजिंग आस्तियों और देयताओं की ब्याज दर स्वेप, बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्कट टू मार्केट) नहीं है।
- ख) ट्रेडिंग स्वेप : ट्रेडिंग उद्देश्य से ब्याज दर स्वेप बाज़ार हेतु चिन्हित (मार्कट टू मार्केट) है।

ii. डेरिवेटिव सौदों पर आय का लेखांकन:

- क) हेजिंग स्वेप : वसूली के आधार पर आय का लेखांकन किया गया. व्यय यदि कोई है, को उपचय आधार पर, यदि निर्धारणयोग्य है, लेखाबद्ध किया गया है।
- ख) ट्रेडिंग स्वेप : आय या व्यय को निपटान के दिनांक पर वसूली के आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।

iii. स्वेप समाप्ति पर आय या हानि का लेखांकन:

- क) हेजिंग स्वेप : निरस्त हुए स्वेप पर किसी भी लाभ या हानि को (क) स्वेप की शेष बची संविदात्मक अवधि या (ख) आस्ति / देयता की शेष अवधि में से जो अवधि कम हो, के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।
- ख) ट्रेडिंग स्वेप : स्वेप निरसन पर किसी भी लाभ या हानि को निरसन के वर्ष में ही हानि या लाभ के रूप में निर्धारित किया गया है।

3.8. निवेश अस्थिर रिज़र्व और निवेश रिज़र्व खाता :

आरबीआई के दिनांक 12.09.2023 के मास्टर निर्देश के अनुसार परिपत्र आरबीआई/डीओआर/2023-24/104 डीओआर.एमआरजी.36/21.04.141/2023-24, के अंतर्गत निवेश उतार-चढ़ाव रिज़र्व (आईएफआर) तब तक बनाया जाना चाहिए जब तक कि आईएफआर की राशि निरंतर आधार पर, निम्नलिखित में से न्यूनतम राशि को आईएफआर में अंतरण द्वारा एएफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो का कम से कम 2% न हो जाए।

3.7. Derivatives:

Interest Rate Swaps:

i. Valuation:

- a) **Hedging Swaps:** : Interest Rate Swaps for hedging assets and liabilities are not marked to market.
- b) **Trading Swaps:** : Interest Rate Swaps for trading purpose are marked to market

ii. Accounting of income on derivative deals:

- a) **Hedging Swaps:** : Income is accounted for on realization basis. Expenditure, if any, is accounted for on accrual basis, if ascertainable
- b) **Trading Swaps:** Income or expenditure is accounted for on realization basis on settlement date

iii. Accounting of gain or loss on termination of swaps:

- a) **Hedging Swaps:** Any gain or loss on the terminated swap is recognized over the shorter of (a) the remaining contractual life of the swap or (b) the remaining life of the asset/ liability.
- b) **Trading Swaps:** Any gain or loss on terminated swap is recognized as income or expenditure in the year of termination.

3.8. Investment Fluctuation Reserve & Investment Reserve Account:

As per RBI master direction vide circular R B I / D O R / 2 0 2 3 - 2 4 / 1 0 4 DOR.MRG.36/21.04.141/2023-24 dated 12.09.2023, Investment Fluctuation Reserve (IFR) to be created until the amount of IFR is at least 2% of AFS and FVTPL (Including HFT) portfolio, on continuous basis, by transferring to the IFR of an amount not less than the lower of the following:



क) वर्ष के दौरान निवेश की बिक्री पर निवल लाभ या

ख) वर्ष के लिए निवल लाभ में से अनिवार्य विनियोजन को घटाकर

बैंक को अपने एफएस और एफवीटीपीएल (एचएफटी सहित) पोर्टफोलियो के 2% से अधिक आईएफआर से शेष राशि आहरित करने की अनुमति दी गई है, जिसे किसी भी लेखांकन वर्ष के अंत में लाभ और हानि खाते में दर्शाए गए लाभ/हानि के शेष में जमा किया जा सकता है, जो आरबीआई दिशानिर्देशों में निर्धारित शर्तों के अधीन है।

a) Net profit on sale of Investments during the year or

b) Net profit for the year less mandatory appropriations.

Bank has been permitted to draw down the balance from IFR in excess of 2% of its AFS and FVTPL (including HFT) portfolio, for credit to the balance of profit/loss as disclosed in the profit and loss account at the end of any accounting year subject to the conditions stipulated in RBI guidelines.

4

अग्रिम

4.1. दर्शाए गए अग्रिम बट्टे खातों, अनर्जक आस्तियों हेतु किए गए प्रावधानों, ऋण गारंटी संस्थानों के साथ निपटाए गए दावों, मानक पुनर्गठित अग्रिमों के प्रावधानों और पुनर्भाजन बिलों से निवल हैं।

4.2. अग्रिमों का वर्गीकरण और उनपर प्रावधान भा.रि.बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों और दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है, निम्नलिखित श्रेणी के अग्रिमों को छोड़कर, एनपीए पर प्रावधान भा.रि.बैंक द्वारा निर्धारित दर से अधिक किए गए हैं -

- अवमानक - 20%
- संदिग्ध संपत्ति एक से तीन साल - प्रत्याभूत हिस्से पर 50%

4.3. अर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान को "अन्य देयताएं व प्रावधान" शीर्ष के अंतर्गत दर्शाया गया है।

4.4. एसडीआर के अंतर्गत अग्रिमों के संबंध में चार तिमाहियों की अधिकतम अवधि के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में प्रावधान किए गए।

4.5. परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी)/प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के मामले में, यदि बिक्री निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर हुई है, तो अधिशेष को बनाए रखा जाएगा और एससी/ एआरसी को अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री पर घाटे/हानि की पूर्ति हेतु इसका उपयोग किया जाए। यदि बिक्री मूल्य निवल बही मूल्य (एनबीवी) से कम हो, (अर्थात् बकाया घाटे प्रावधान धारित) तो घाटे को लाभ एवं हानि खाते के नामे किया जाना है। तथापि अधिशेष उपलब्ध है तो ऐसे घाटे को अधिशेष में अवशोषित किया जाएगा। अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न घाटे को दो वर्षों की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाएगा, यदि अधिशेष में अवशोषित नहीं किया गया है।

अनर्जक आस्तियों के विक्रय के कारण उत्पन्न अतिरिक्त प्रावधान को केवल तभी प्रत्यावर्तित किया जाता है जब प्राप्त नकद (केवल आरंभिक प्राप्ति/या एसआरएस/ पीटीसी के मोचन द्वारा) आस्ति के निवल बही मूल्य (एनबीवी) से अधिक होता है। आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकदी की सीमा तक ही अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन सीमित होगा।

4

Advances

4.1. Advances are disclosed net of write offs, provisions made for non-performing assets, claims settled with the credit guarantee institutions, provision for diminution in fair value for restructured advances and bills rediscounted

4.2. Classification of advances and provisions thereon are made in accordance with the prudential norms prescribed by and guidelines of RBI from time to time, except in respect of following category of advances, provision on NPAs are made higher than the rate prescribed by RBI -

- Sub-Standard - 20%
- Doubtful Assets One to three years - 50% on secured portion

4.3. Provision for performing assets, is shown under the head "Other liabilities and provisions".

4.4. In respect of advances under SDR, provision is made in accordance with RBI guidelines, within a maximum period of four quarters

4.5. In case of financial assets sold to Asset Reconstruction Company (ARC)/ Securitization Company (SC), if the sale is at a price higher than the NBV, the surplus is retained and utilised to meet the shortfall/loss on account of sale of other financial assets to SC/ARC. If the sale is at a price below the net book value (NBV), (i.e. outstanding less provision held) the shortfall is to be debited to the Profit and Loss account. However, if surplus is available, such shortfall will be absorbed in the surplus. Any shortfall arising due to sale of NPA will be amortised over a period of two years if not absorbed in the surplus.

Excess provision arising out of sale of NPAs are reversed only when the cash received (by way of initial consideration only/or redemption of SRs/PTC) is higher than the net book value (NBV) of the asset. Reversal of excess provision will be limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.



5

स्थिर आस्तियां एवं मूल्यहास

- 5.1. पुनर्मूल्यांकित मूल्य पर उल्लिखित और पुनर्मूल्यांकित किए गए कतिपय परिसरों को छोड़कर परिसर और अन्य स्थिर आस्तियों के लागत में मूल्यहास/ ऋण परिशोधन को घटाकर लेखाबद्ध किया गया है।

लागत में जीएसटी कानून के अनुसार कर, खरीद की लागत और सभी खर्च जैसे कि साइट की तैयारी, स्थापना लागत और उपयोग करने से पहले आस्ति पर उपचित पेशेवर शुल्क शामिल हैं। उपयोग किए जाने वाली संपत्तियों पर उपचित किए गए बाद के व्यय केवल तभी पूंजीगत होते हैं, जब यह ऐसी आस्तियों से भविष्य के लाभ या उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है।

- 5.2. अचल आस्तियों पर मूल्यहास नीचे दी गई दरों पर किया जाता है, ताकि आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर संपत्ति का मूल्य एक रुपया लिखा जा सके।

5

Fixed Assets and Depreciation

- 5.1. Premises and Other Fixed Assets are carried at cost less accumulated depreciation/ amortization, except for certain premises, which were revalued and stated at revalued amount.

Cost includes cost of purchase, taxes as per GST law and all expenditure such as site preparation, installation costs and professional fees incurred on the asset before it is put to use. Subsequent expenditure(s) incurred on the assets put to use are capitalised only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability

- 5.2. Depreciation on fixed assets is provided for at the rates specified below, so as to write down value of assets to Rupee One over the residual life of the assets

क्र. S.N.	आस्ति की श्रेणी Category of Asset	आस्ति की उपयोगिता अवधि (वर्ष में) Useful Life of Assets (in Years)	मूल्यहास की दर (%) Rate of Depreciation (%)	मूल्यहास की पद्धति Method of depreciation
1	भवन एवं परिसर Building & Premises	60	1.667	एसएलएम/ SLM
2	सेफ सहित सामान्य वस्तुएं General Items including Safe	10	10	एसएलएम/ SLM
3	इलेक्ट्रिकल – टेलीविजन, मोबाइल फोन, होम थियेटर, प्रिंटर, कैमरा Electrical – Television, Mobile Phones, Home Theater, Printer, Camera	3	33.33	एसएलएम/ SLM
4	इलेक्ट्रिकल उपकरण- अन्य Electrical Equipment's- Others	7	14.29	एसएलएम/ SLM
5	कार्यालय मशीनरी Office Machinery	5	20	एसएलएम/ SLM
6	मोटर वाहन Motor Vehicles	8	12.5	एसएलएम/ SLM
7	सेफ डिपॉजिट वॉल्ट Safe Deposit Vaults	10	10	एसएलएम/ SLM
8	कंप्यूटर तथा लैपटॉप Computers & Laptops	3	33.33	एसएलएम/ SLM
9	एटीएम ATM	7	14.29	एसएलएम/ SLM
10	यूपीएस UPS	5	20	एसएलएम/ SLM
11	बीएनए BNA	7	14.29	एसएलएम/ SLM
12	कैश रि-साइकलर Cash Re-cycler	7	14.29	एसएलएम/ SLM

* एसएलएम अर्थात सीधी रेखा पद्धति

*SLM means Straight Line Method



- 5.3. वर्ष के दौरान खरीदी गई संपत्तियों के संबंध में अनुपातिक आधार पर पूरे वर्ष का मूल्यहास उतने दिनों के लिए लगाया गया है जितना वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किया गया है।

इसी तरह वर्ष के दौरान बेची / हटाई गई आस्ति के संबंध में, मूल्यहास अनुपातिक आधार पर उतने दिनों के लिए लगाया गया है जितना वर्ष के दौरान आस्तियों का उपयोग किया गया है।

- 5.4. हर तीन वर्ष में एक बार अचल संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन के समय स्वीकृत मूल्यांककों द्वारा प्रमाणित अचल आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से से निस्तारण मूल्य को घटाकर आस्तियों के अवशिष्ट जीवन पर घटती शेष पद्धति (अचल संपत्तियों की लागत से अधिक और ऊपर) से मूल्यहास लगाया जाता है।

पट्टा-धारित ज़मीनों से संबंधित पुनर्मूल्यन आरक्षित को लीज़ अवधि के अवशिष्ट जीवन पर सीधी रेखा पद्धति पर परिशोधित किया जाता है।

अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से पर लागत के अतिरिक्त मूल्यहास को लाभ और हानि खाते में नामे किया जाता है। पुनर्मूल्यांकन आरक्षित की राशि, लाभ और हानि खाते में नामे की गई लागत के अतिरिक्त अचल संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकित हिस्से से संबंधित मूल्यहास की सीमा तक पुनर्मूल्यांकन रिजर्व से राजस्व रिजर्व में अंतरित की जाती है।

- 5.5. पट्टा-धारित परिसर के संबंध में, पट्टा प्रीमियम, यदि कोई हो, तो उसे एस 19 के अनुसार एसएलएम आधार पर पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

- 5.3. In respect of assets acquired during the year, depreciation is provided on proportionate basis for the number of days the assets have been put to use during the year.

Similarly, in respect of assets sold / discarded during the year, depreciation is provided on proportionate basis till the number of days the assets had been put to use during the year

- 5.4. Eligible fixed assets are revalued once in every three years. Revalued portion of fixed assets net of salvage value (over and above the cost of fixed assets) is depreciated on straight line method over the residual life of the assets as certified by approved valuers at the time of valuation.

Revaluation reserve pertaining to lease hold lands, is amortised on straight line method over the residual life of the lease period.

Depreciation on revalued portion of fixed assets, over and above the cost is debited to Profit & Loss account. Amount of Revaluation Reserve to the extent of depreciation related to revalued portion of fixed assets over and above the cost debited to profit & loss account is transferred to Revenue Reserve from Revaluation Reserve.

- 5.5. In respect of leasehold premises, the lease premium, if any, is amortised over the period of lease on SLM basis in accordance with AS 19.

6

राजस्व अभिनिर्धारण

- 6.1. निम्नांकित नकदी आधार पर लेखाबद्ध मदों को छोड़कर, समस्त राजस्व तथा लागतों को उपचय आधार पर लेखाबद्ध किया गया है :

- क भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार अनर्जक आस्ति के रूप में अभिनिर्धारित अग्रिमों एवं निवेशों पर ब्याज
- ख सरकारी व्यवसाय, म्युचुअल फंड व्यवसाय, जारी किए गए क्रेडिट व डेबिट कार्ड, वार्षिक रखरखाव शुल्क और लॉकर किराए आदि पर कमीशन से आय
- ग खरीदे गए तथा बढ़ाकृत बिलों पर अतिदेय अवधि के लिए ब्याज.
- घ बीमा दावे

6

Revenue Recognition

- 6.1. All revenues and costs are accounted for on accrual basis except the following items, which are accounted for on cash basis:

- a. Interest on Advances and Investments identified as Non-Performing Assets according to the prudential norms and guidelines issued by RBI, from time to time.
- b. Income from commission like on Government business, Mutual Fund business, credit & debit cards issued, Annual maintenance charges for cards and Locker Rent.
- c. Interest for overdue period on bills purchased and bills discounted.
- d. Insurance claims



- ड डिबेंचर ट्रस्टी कारोबार का पारिश्रमिक
- च ऋण प्रोसेसिंग शुल्क
- छ व्यापारी बैंकिंग परिचालनों तथा हामीदारी कमीशन से आय
- ज इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यूटिलिटी बिल भुगतान सेवाओं से प्राप्त संव्यवहार प्रसंस्करण शुल्क

- e Remuneration on Debenture Trustee Business.
- f Loan Processing Fees.
- g Income from Merchant Banking Operations and Underwriting Commission.
- h Transaction processing fees received on utility bill pay services through internet banking

6.2. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में दिनांक 02.07.2021 से अतिदेय मीयादी जमाराशियों पर देय ब्याज को उपचित आधार पर बचत खाते के लिए लागू ब्याज दर पर या परिपक्व मीयादी जमा पर ब्याज दर, से जो कम हो प्रावधान किया गया है।

6.2. Pursuant to RBI guidelines, the interest payable on overdue term deposit is provided on accrual basis at rate of interest as applicable to saving account or contracted rate of interest on the matured TD, whichever is lower from 02.07.2021

7

कर्मचारी अनुलाभ

परिभाषित अंशदान योजना : परिभाषित अंशदान अनुलाभ योजनाओं के अंतर्गत अदा किए गए/अदा किए जाने वाले अंशदान को लाभ-हानि खाते को प्रभारित किया गया है।

परिभाषित अनुलाभ योजना : सभी पात्र कर्मचारी बैंक की उपदान, पेंशन तथा विशेषाधिकार अवकाश योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं, जो कि एस-15 में निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित हैं, और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए कर्मचारी लाभ (संशोधित) हैं। परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए बैंक की देयताओं को प्रावधानों के माध्यम से निर्धारित किया जाता है और बैंक द्वारा नियुक्त बीमांकक द्वारा प्रदान की गई एक बीमांकक मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर समायोजित किया जाता है और प्रत्येक तिमाही /वित्तीय वर्ष के अंत में बनाया जाता है। लाभ और हानि खाते में बीमांकक लाभ और हानि को मान्यता दी जाती है।

अन्य कर्मचारी लाभ जैसे अवकाश किराया रियायत, रजत जयंती पुरस्कार, पुनर्वास भत्ता, और सेवानिवृत्ति लाभ बीमांकक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

7

Employees' Benefits

Defined Contribution Plan: The contribution paid/ payable under defined contribution benefit schemes are charged to Profit & Loss Account.

Defined Benefit Plans: All eligible employees are entitled to receive benefits under the Bank's Gratuity, Pension & Privilege Leave schemes which are valued based on the principles laid down in AS -15, Employees Benefit (Revised) issued by Institute of Chartered Accountants of India. Bank's liabilities towards defined benefit schemes are determined by way of provisions and adjusted on the basis of an actuarial valuation report provided by the Actuaries appointed by the bank and made at the end of each quarter/financial year. Actuarial gains and losses are recognized in the Profit & Loss Account.

Other Employee Benefits such as Leave Fare Concession, Silver jubilee Award, resettlement allowance, and retirement benefit are also provided based on Actuarial valuation.

8

खंड रिपोर्टिंग

बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 17 के अनुपालन में व्यवसाय खंड को अपने प्राथमिक खंड के रूप में मान्यता देता है।

8

Segment Reporting

The Bank recognizes Business Segment as its Primary Segment in compliance with the RBI Guidelines and in compliance with the Accounting Standard 17 issued by ICAI



9

आस्तियों का हास

सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा मानक 28 – आस्तियों की क्षति के अनुसार पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित स्थिर आस्तियों के हास, यदि कोई है, को दर्शाया गया है और लाभ व हानि खाते को प्रभारित किया गया है। जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में बदलाव यह दर्शाता है कि आस्ति की वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है, मूल्यहास के लिए आस्तियों की समीक्षा की जाती है।

9

Impairment of Assets

Impairment losses if any, on fixed assets including revalued fixed assets are recognized in accordance with Accounting Standard 28- Impairment of Assets issued by the ICAI and charged to Profit & Loss Account. Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable

10

प्रावधान, आकस्मिक देयताएं व आकस्मिक आस्तियां

आईसीएआई द्वारा जारी लेखा मानक 29- "प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां" के अनुसार, बैंक केवल तभी प्रावधानों को मान्यता देता है जब किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप उसका वर्तमान में दायित्व होता है और यह संभावना है कि दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।

आकस्मिक देयता का प्रकटन तब तक किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ वाले संसाधनों के बहिर्गमन की संभावना न्यूनतम न हो।

आकस्मिक आस्तियों को वित्तीय विवरणों में नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप ऐसी आय का अभिनिर्धारण हो सकता है जो कभी प्राप्त न हो।

10

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

As per the Accounting Standard 29- "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" issued by ICAI, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

Contingent Liability is disclosed unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefit is remote.

Contingent assets are not recognized in the financial statements since this may result in the recognition of the income that may not be realized.

11

निवल लाभ, प्रावधान एवं आकस्मिकताएं

निवल लाभ का प्रकटन आकस्मिकताओं व प्रावधानों के उपरांत किया गया है, जिसमें निवेशों के मूल्य का समायोजन, अशोध ऋणों को बढ़े खाते डालना, कराधान के लिए प्रावधान (आस्थगित कराधान सहित) और धोखाधड़ी व आकस्मिकताओं/ अन्य के रूप में अभिनिर्धारित मामलों सहित अग्रिमों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

11

Net Profit, Provisions and Contingencies

The Net Profit disclosed is after making the Provisions and Contingencies which include adjustment to the value of investments, write off of bad debts, provision for taxation (including deferred tax), and provision for advances including cases identified as fraud and contingencies /others

12

आयकर

वर्ष के दौरान किये गये कर प्रावधानों में चालू आयकर और आस्थगित कर के प्रति देयताएं शामिल हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक 22 की शर्तों के अनुसार कर-योग्य आय और लेखा-योग्य आय के बीच समयान्तर और विवेकपूर्ण विचार की शर्त के अधीन आस्थगित कर आस्तियों एवं देयताओं की पहचान की गई है। आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं ब्याज दर में परिवर्तन के

12

Income tax

The provision for tax for the year comprises liability towards current Income Tax, and Deferred Tax. The deferred tax asset/ liability is recognized, subject to the consideration of prudence, taking into account the timing differences between the taxable income and accounting income, in terms of the Accounting Standard 22 issued by ICAI. The effect of change in tax rates on deferred tax assets and liabilities is recognized



प्रभाव को इस परिवर्तन के लागू होने की अवधि में लाभ और हानि खाते में अभिनिर्धारित किया गया है।

आस्थगित कर आस्तियों व देयताओं का मापन उन कर दरों व कर कानूनों का उपयोग कर किया गया है जो तुलन पत्र के दिनांक को अधिनियमित किए गए हैं या पर्याप्त रूप से अधिनियमित हैं।

आस्थगित कर आस्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में प्रबंधन के निर्णय के आधार पर मान्यता दी जाती है और उनका पुनर्मूल्यांकन किया जाता है कि क्या उनकी प्राप्ति उचित रूप से निश्चित है।

अनवशोषित मूल्यहास या करधान कानूनों के अंतर्गत आगे लाई गई हानि के मामले में सभी आस्थगित कर आस्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है यदि ठोस साक्ष्यों के साथ ऐसी आस्तियों की वसूली की वास्तविक निश्चितता हो।

आयकर के रिफंड पर ब्याज आय का लेखांकन उस वर्ष में किया गया है, जिस वर्ष संबंधित प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किया गया।

कर प्राधिकारियों द्वारा की गई मांग को ब्याज सहित प्रावधान किया जाता है जब ऐसी मांग को बैंक द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और इसे अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष चुनौती नहीं दी जाती है या जब न्यायिक न्यायाधिकरण द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है और समान मामले पर अन्य न्यायाधिकरण का कोई अनुकूल निर्णय नहीं होता है और बैंक उच्च न्यायालय के समक्ष जाना नहीं चाहता है या जब उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी मांग को बरकरार रखा जाता है।

in the Profit & Loss Account in the period of applicability of the change.

Deferred tax assets and liabilities are measured using the applicable tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted by the balance sheet date.

Deferred tax assets are recognized and re-assessed at each reporting period based on management judgement as to whether their realization is considered as reasonably certain.

In cases of unabsorbed depreciation or carried forward loss under taxation laws, all deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

Interest income on refund of Income Tax is accounted for in the year in which; the order is passed by the concerned authority.

The demand raised by the Tax authorities including the interest thereon is provided for when such demand is accepted by the bank and the same is not contested before appellate authority OR when such demand is upheld by jurisdictional tribunal and there is no favorable judgement of other tribunal on identical issue and bank does not prefer to go before High Court OR when such demand is upheld by high Court.

13

प्रति शेयर अर्जन

प्रति इक्विटी शेयर मूल और शिथिल अर्जन की रिपोर्ट भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानक (एएस - 20) "प्रति शेयर अर्जन" के अनुरूप की गई है। प्रति शेयर मूल अर्जन वर्ष हेतु बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा निवल लाभ को विभाजित कर निकाली गई है। वर्ष के दौरान बकाया शिथिल संभावित इक्विटी शेयर और भारित औसत इक्विटी शेयरों की संख्या का उपयोग कर प्रति इक्विटी शेयर शिथिल अर्जन की गणना की गई है।

प्रति शेयर शिथिल आय उस संभावित शिथिलता को दर्शाती है जो प्रति शेयर आय में हो सकती है यदि वर्ष के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने के अन्य अनुबंधों का प्रयोग या रूपांतरण किया जाता है।

13

Earnings Per Share

The bank reports basic and diluted earnings per equity share in accordance with the Accounting Standard (AS-20) "Earnings Per Share" issued by ICAI. Basic Earnings per share is arrived by dividing net profit after tax with the weighted average number of equity shares outstanding for the year. The diluted earnings per equity share are computed using the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share reflects the potential dilution that could occur in earnings per share if securities or other contracts to issue equity share are exercised or converted during the year.

14

नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में आरबीआई के पास नकद और शेष राशि, बैंकों के पास शेष राशि और कॉल और अल्प सूचना पर धन शामिल है।

14

Cash and Cash equivalents

Cash and cash equivalents include Cash and Balances with RBI, Balances with Banks and money at call and short notice



अनुसूची 18 : खातों हेतु टिप्पणियां
(नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं)
(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए एकल खातों के भाग स्वरूप सलंग्न)

Schedule 18: Notes to Accounts

(Note: Figures in bracket relate to previous year)

(ANNEXED TO AND FORMING PART OF THE STANDALONE ACCOUNTS
FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2025)

1

नियामक पूंजी

1

Regulatory Capital

क) विनियामक पूंजी का संमिश्र

a) Composition of Regulatory Capital

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

क्र./S.	विवरण Particulars	31.03.2025	31.03.2024
1	सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) Common Equity Tier 1 capital (CET 1)	26515.34	18275.07
2	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी Additional Tier 1 capital	1720.00	1790.00
3	टियर 1 पूंजी (i + ii) Tier 1 capital (i + ii)	28235.34	20065.07
4	टियर 2 पूंजी Tier 2 capital	6153.31	5346.02
5	कुल पूंजी (टियर 1+टियर 2) Total capital (Tier 1+Tier 2)	34388.65	25411.09
6	कुल जोखिम भारित आस्तियां (आरडब्ल्यूए) Total Risk Weighted Assets (RWAs)	167528.19	146180.67
7	सीईटी 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में सीईटी 1) CET 1 Ratio (CET 1 as a percentage of RWAs)	15.83%	12.50%
8	टियर 1 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 1 पूंजी) Tier 1 Ratio (Tier 1 capital as a percentage of RWAs)	16.86%	13.72%
9	टियर 2 अनुपात (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में टियर 2 पूंजी) Tier 2 Ratio (Tier 2 capital as a percentage of RWAs)	3.67%	3.66%
10	जोखिम भारित आस्ति अनुपात हेतु पूंजी (सीआरएआर) (आरडब्ल्यूए के प्रतिशत के रूप में कुल पूंजी) Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) (Total Capital as a percentage of RWAs)	20.53%	17.38%
11	लिवरेज अनुपात Leverage Ratio	7.35%	6.27%
12	भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत (%) Percentage of the shareholding of Government of India (%)	79.60%	86.46%
13	वर्ष के दौरान उगाही गई प्रदत्त इक्विटी पूंजी की राशि Amount of paid-up equity capital raised during the year	3500.00	1000.00
14	वर्ष के दौरान उगाही गई गैर-इक्विटी टियर 1 पूंजी की राशि, जिसमें से : Amount of non-equity Tier 1 capital raised during the year, of which: • सतत गैर-संचयी अधिमानी शेयरों की राशि (पीएनसीपीएस) Amount of Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) • बेसल III अनुपालक सतत ऋण लिखतें (एटी 1 बॉण्ड) Basel III compliant Perpetual Debt Instruments (AT 1 Bond)	- -	- -
15	वर्ष के दौरान उगाही गई टियर 2 पूंजी की राशि, जिसमें से : बेसल III अनुपालक टियर II बॉण्ड Amount of Tier 2 capital raised during the year, of which: Basel III compliant Tier II Bond	1000.00	774.00



- 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के दौरान, बैंक ने 05 अक्टूबर, 2024 को क्यूआईपी के माध्यम से ₹3500 करोड़ की इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर प्रीमियम सहित) जुटाई है। बैंक ने प्रति शेयर ₹47.36 के प्रीमियम पर ₹10 प्रत्येक के 61,01,81,311 इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किए हैं।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान निम्नलिखित बॉण्डों की उगाही की:
- During the year ended on March 31, 2025, Bank has raised Equity Share Capital (including Share Premium) of ₹3500 crores through Qualified Institutional Placements on October 05, 2024. The Bank has issued and allotted 61,01,81,311 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹47.36 per share.
- The Bank has raised following bonds during the FY 2024-25 as under:

श्रृंखला Series	प्रकार Type	आईएसआईएन नं. ISIN No	जारी करने का दिनांक Date of Issue	अवधि Tenure	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	कूपन दर (% में) Coupon Rate (In %)	कॉल दिनांक Call date
viii	बेसल III टियर II Basel III Tier II	INE457A08167	04.07.2024	10 Years	1000.00	7.89	04.07.2029

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने मांग विकल्प का कार्यान्वयन किया और निम्नलिखित बॉण्ड का भुगतान किया :
- During the FY 2024-25, Bank has exercised call option and made payment of following bond:

श्रृंखला Series	प्रकार Type	आईएसआईएन नं. ISIN No	जारी करने का दिनांक Date of Issue	अवधि Tenure	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	कूपन दर (% में) Coupon Rate (In %)	कॉल दिनांक Call date
I	बेसल III टियर II Basel III Tier II	INE457A08050	06.03.2020	10 Years	600.00	8.70	06.03.2025

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने निम्नानुसार दीर्घकालिक अवसंरचना बॉण्डों की भी उगाही की:
- During the FY 2024-25, The Bank has also raised following Long Term Infrastructure Bonds as under:

श्रृंखला Series	प्रकार Type	आईएसआईएन नं. ISIN No	जारी करने का दिनांक Date of Issue	अवधि Tenure	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	कूपन दर (% में) Coupon Rate (In %)	कॉल दिनांक Call date
I	इन्फ्रा बॉन्ड्स Infra Bonds	INE457A08175	05.08.2024	10 Years	811.00	7.80	N.A.
II	इन्फ्रा बॉन्ड्स Infra Bonds	INE457A08183	18.02.2025	10 Years	1612.00	7.70	N.A.

ख) आरक्षितियों से आहरित

लेखा मानक - 10 'संपत्ति, संचय और उपकरण', के अनुसार स्थिर आस्तियों के पुनर्मूल्यांकित भाग पर वर्ष के लिए ₹ 29.46 करोड़ (₹ 29.49 करोड़) का मूल्यहास लाभ व हानि खाते को प्रभावित किया गया है। ₹ 29.46 करोड़ (₹ 29.49 करोड़) की समतुल्य राशि को पुनर्मूल्यांकन आरक्षिति से राजस्व आरक्षिति में अंतरित किया गया।

31 मार्च, 2024 तक निवेश पर मूल्यहास के लिए प्रावधान ₹ 15.04 करोड़ है, जिसे वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व आरक्षिति में अंतरित कर दिया गया है। 31 मार्च, 2024 तक निवेश आरक्षिति खाते (आईआरए) में शेष ₹ 62.39 करोड़ को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्व रिजर्व में अंतरित कर दिया गया है।

b) Draw down from Reserves

In accordance with the Accounting Standard – 10 'Property, Plant & Equipment', depreciation of ₹ 29.46 Crore (₹ 29.49 Crore) for the year on revalued portion of fixed assets has been charged to Profit and Loss Account. Equivalent amount of ₹ 29.46 Crore (₹ 29.49 Crore) has been transferred from Revaluation Reserve to Revenue Reserve.

As of March 31, 2024, the provision for depreciation on investment stands at ₹ 15.04 Crore, which has been transferred to the Revenue Reserve during FY. 2024-25. The balance of ₹ 62.39 Crore in Investment Reserve Account (IRA) as of March 31, 2024, transferred to the Revenue Reserve during FY. 2024-25.



क) 31.03.2025 को आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति

a) Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2025

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिनों से 2 माह 31 days to 2 months	2 माह से अधिक 3 माह तक Over 2 months up to 3 months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्षों से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां Deposits	1195.05	4590.08	3562.81	6419.46	9226.00	10070.60	20031.90	77390.43	73851.90	37280.10	63524.28	307142.61
सकल अग्रिम Gross Advances	636.13	1685.76	1830.31	4810.13	5493.23	8251.32	16139.64	32462.56	56433.12	39971.29	72123.05	239836.54
सकल निवेश Gross Investments	30.00	1862.16	29.97	1122.40	2026.11	2473.29	2169.79	8794.56	15411.91	14660.90	33760.69	82341.77
उधारियां Borrowings	6.33	0.00	35.93	0.00	42.25	42.25	682.99	7383.49	11462.26	1774.00	2423.00	23852.52
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	345.02	1282.41	28.97	784.71	1333.06	277.82	3172.33	6410.93	0.00	0.00	0.00	13635.25
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	933.05	1026.74	19.66	983.48	1280.18	29.75	2982.17	6502.16	54.71	3.49	0.00	13815.39

31.03.2024 को आस्तियों व देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता पद्धति

Maturity pattern of certain items of assets and liabilities as on 31.03.2024

(राशि ₹ करोड़ में) (Amount in ₹ crore)

विवरण Particulars	1 दिन 1 day	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिनों से 2 माह 31 days to 2 months	2 माह से अधिक 3 माह तक Over 2 months up to 3 months	3 माह से अधिक 6 माह तक Over 3 months up to 6 months	6 माह से अधिक 1 वर्ष तक Over 6 months up to 1 year	1 वर्ष से अधिक 3 वर्ष तक Over 1 year up to 3 years	3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष तक Over 3 years up to 5 years	5 वर्षों से अधिक Over 5 years	कुल Total
जमा राशियां Deposits	2244.22	4979.15	4547.68	8442.56	10135.44	16698.69	25242.98	76410.99	37940.52	18135.05	65969.90	270747.16
सकल अग्रिम Gross Advances	2875.54	3409.71	3610.85	5183.22	11060.51	7372.93	13021.73	25355.62	45586.63	30775.87	55411.33	203663.94
सकल निवेश Gross Investments	0.00	80.31	0.00	93.48	341.09	2997.25	782.45	3153.97	17317.44	10154.96	33671.92	68592.86
उधारियां Borrowings	0.00	0.00	74.41	0.00	107.64	86.17	258.52	485.47	1598.94	0.00	5107.70	7718.86
विदेशी मुद्रा आस्तियां Foreign Currency Assets	27.46	1727.41	73.14	1277.91	191.74	1645.97	1954.96	6769.10	0.00	0.00	0.00	13667.69
विदेशी मुद्रा देयताएं Foreign Currency Liabilities	369.41	2291.45	1.21	1025.09	9.44	1670.59	1595.32	6823.24	36.27	7.54	0.00	13829.55

बचत बैंक और चालू जमा राशियों का यह वर्गीकरण निदेशक मंडल/ एलसीओ द्वारा अनुमोदित व्यवहारात्मक पद्धति पर आधारित है।

This classification of Savings Bank and Current Deposits is based on behavioral pattern approved by the Board / ALCO